श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2016 को आयोजित आंतरिक संसाधन की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम समाहर्त्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समीक्षा के दौरान राजस्व संग्रह की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :–

1. **<u>परिवहन (Transport)</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण के द्वारा वार्षिक लक्ष्य– 2488.00 लाख रूपयें के विरूद्ध माह–फरवरी 2016 तक 2041.76 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 73.04 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी से पृच्छा की गयी, पृच्छा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वर्श गाड़ी की विक्री बहुत कम हुई है और अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा समन की राशि की वसुली भी नही के बराबर की गयी है। समाहर्त्ता द्वारा तीनो S.D.O को समन की राशि वसुली करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया। साथ ही साथ जिला परिवहन पदाधिकारी को लक्ष्य के शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण का निदेश दिया गया। इसपर जिला परिवहन पदाधिकारी लक्ष्य पूर्ण कर लेने हेतु आश्वस्त कराया गया।

अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर/मढ़ौरा/सोनपुर/M.V.I/ प्रर्वतन अवर निरीक्षक, सारण।

2. **<u>वाणिज्य कर (Commercial Taxes)</u>** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वाणिज्यकर विभाग के वार्षिक लक्ष्य–8180.57 लाख के विरूद्ध–5746.22 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 70.24 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नही किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वाणिज्यकर उपायुक्त को वित्तीय वर्ष 15–16 के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया, जिसपर वाणिज्यकर उपायुक्त द्वारा बताया गया कि उत्पाद अधीक्षक के पास 3 करोड़ बकाया है, अगर रशि की प्राप्ति हो जाती है तो शतप्रतिशत वसूली हो जाएगा। समाहर्त्ता द्वारा अधीक्षक उत्पाद से पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में उत्पाद अधीक्षक द्वारा बताया गया कि टैक्स के रूप में बकायेदारों से जमानत की राशि प्राप्त होने उपरांत ही वाणिज्यकर उपायुक्त को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

अनुपालन– वाणिज्य कर उपायुक्त,/उत्पाद अधीक्षक, सारण, छपरा।

3. **<u>राष्ट्रीय बचत(National Savings)</u>** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सारण के वार्षिक लक्ष्य– 19000.00 लाख रूपयें के विरूद्ध–22121.82 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 116.43 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रहण किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण जारी रखने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सारण।

4. **उत्पाद(Excise)**:–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उत्पाद विभाग के द्वारा वार्षिक लक्ष्य 6849.00 लाख के विरूद्ध 7094.00 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 103.58 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण में और गति लाने हेतु नियमित छापेमारी करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– उत्पाद अधीक्षक, सारण।

5. **खनन(Mining)** :–समीक्षा के क्रम में खनन पदाधिकारी की उपस्थिति नही रहने के कारण समीक्षा नही हो पाई। समाहर्त्ता द्वारा वगैर सूचना के अनुपस्थित रहने की स्थिति में खनन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी, सारण छपरा।

6. **जिला परिषद् (Jila Parishad)** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 96.27 लाख के विरूद्ध 91.94 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 95.02 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा फरवरी माह में राजस्व संग्रहण शतप्रतिशत नही किये जाने पर जिला अभियंता से पृच्छा की गई, जिसपर जिला अभियंता द्वारा बताया गया कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण ससमय कर लिया जायेगा।

**अनुपालन– उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी, सारण।**

7. **सहकारिता (Co-operative)** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 15.95 लाख के विरूद्ध मात्र 4.62 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 28.97 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 से भी कम राजस्व संग्रहण किये जाने पर पृच्छा की गई, जिसपर जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पिछले वर्श पैक्स का निर्वाचन होने के कारण बकाया राशि अध्यक्षों द्वारा जमा कर दिया गया था। इस वित्तीय वर्ष में भी शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण कर लेने का आश्वसान दिया गया।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण।

8. **विद्युत पूर्वी (Electricity)**:– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 11340.00 लाख के विरूद्ध 5956.45 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्शिक लक्ष्य के 52.53 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण के स्थिति पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पूर्वी द्वारा बताया गया कि विभिन्न विभागों में अधिक राशि बकाया है। संबंधित विभाग द्वारा राशि के जमा कर दिया जाएगा तो शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। समाहर्त्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 15.03.2015 तक अनिवार्य रूप से अपने–अपने विभाग के विद्युत बकाया राशि जमा कर दिया जाय।

**अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, पूर्वी एवं सभी
आंतरिक संसाधन पदाधिकारी, सारण जिला।**

9. **विद्युत पश्चिमी (Electricity)**:– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 10320.00 लाख के विरूद्ध 4104.00 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 51.63 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण के स्थिति पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता से शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी एवं सभी आंतरिक संसाधन पदाधिकारी, सारण जिला।

10. **मत्स्य (Fisheries)** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 21.08 लाख के विरूद्ध 11.80 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 56.600 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण के स्थिति पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए ससमय शतप्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण।

11. **माप–तौल (Weights-Measure)** :–समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माप–तौल विभाग के वार्षिक लक्ष्य 48.59 लाख के विरूद्ध 42.02 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 87.88 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त की गयी। साथ ही नियमित छापेमारी हेतु पूर्व में दिये गये निदेश को नियमित करते रहने के साथ ही शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का भी निदेश सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा को दिया गया।

अनुपालन– सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा।

12. **निबंधक (Registration)** :–समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 11000.00 लाख के विरूद्ध 8338.00 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 75.80 प्रतिशत हैं। समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नही करने पर पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में अवर निबंधक, एकमा, मशरक, मढौरा, परसा एवं सोनपुर द्वारा बताया गया कि माह के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली कर ली जाएगी। उन्हे लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने तथा विचौलियों पर अंकुश लगाने हेतु नियमित कार्यालय की समीक्षा करने हेतु सभी अवर निबंधक एवं जिला अवर निबंधक को निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, सारण छपरा।

13. **नगर परिषद्, छपरा (Nagar Parishad)** :–समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिशद, छपरा के उपस्थिति नही रहने की स्थिति में समीक्षा नही हो पायी।

समाहर्त्ता द्वारा वगैर सूचना के बैठक में नही रहने पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, छपरा से स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, छपरा।

14. **नगर पंचायत, एकमा** :— समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 7.02 लाख के विरूद्ध माह फरवरी 2016 में 2.28 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 32.48 प्रतिशत हैं।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नही किये जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एकमा से पृच्छा की गयी। जबाब में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मैं चार माह पूर्व आया हूँ, उस वक्त मात्र 4.00 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया, जो अब बढ़कर 32.48 प्रतिशत हो गया है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा को दिया गया।

अनुपालन— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा।

15. **नगर पंचायत, रिविलगंज, परसा, मढौरा, दिघवारा एवं सोनपुर के कार्यापालक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विभाग की समीक्षा नही हो पायी, जिसके कारण संबंधित पदाधिकरी से समाहर्त्ता द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।**

अनुपालन—विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, छपरा।

16. **औषधि नियंत्रक** :—समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह फरवरी 2016 तक 4.89 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्श 2014—15 से कम है। समाहर्त्ता द्वारा कम राजस्व संग्रहण किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण में गति लाने का निदेश दिया गया। साथ ही जेनरिक दवा की दुकान अस्पताल के बगल में खोलवाने हेतु भी निदेश दिया गया।

अनुपालन—औषधि नियंत्रक, छपरा।

समाहर्त्ता द्वारा बैठक के अंत में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप, शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का निदेश सभी विभाग के पदाधिकारी को दिया गया एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत को अपने—अपने क्षेत्र का विधिवत सफाई कराने का भी निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 339 / दिनांक 26/3/16

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

ह0/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।